हरिसिंह .... बनाम ..... सरकार ......

किस्म मुकदमा .... प्रकरण संख्या ..../...........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.01.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस सुनाई गई । दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि सरहद मौजा मणधर तहसील जसवंतपुरा में प्रार्थी की पुश्तैनी सामलाती खातेदारी आयी हुई है। प्रार्थी के पिता से उतराधिकारी के रूप में जरिये गत नामान्तरकरण सं. 300, 301, 302, 303 दिनाक 22.11.1983 को स्वीकृत कर प्रार्थी के पिता स्व0 भैरूसिंह वल्द थानसिंह कौम राव साकिन मणधर के बजाय गलती से प्रार्थी का नाम हंससिंह वल्द भैरूसिंह दर्ज कर दिया। प्रार्थी का नाम हरिसिंह होने बाबत तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई पुछताछ नहीं की गई जबकि प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड , राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी का नाम हरिसिंह वल्द भैरूसिंह है। अतः मौजा मणधर के गत नामान्तरकरण सं. 300, 301, 302, 303 में वर्णित खसरा नंबर वर्तमान खतौनी के तमाम खातेदारी में प्रार्थी का नाम हंससिंह के स्थान पर हरिसिंह दर्ज किये जाने आदेश फरमावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण व प्रकरण मे संलग्न दस्तावेजात तथा अप्रार्थी तहसीलदार जसवंतपुरा के जवाव प्रार्थना पत्र का अध्ययन व अवलोकन किया। अप्रार्थी तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा जवाव में मौजा मणधर के गत नामान्तरकरण सं. 300, 301, 302, 303 में वर्णित खसरा नंबर में प्राथी का नाम हंससिंह के स्थान पर हरिसिंह किये जाने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। अतः मौजा मणधर के गत नामान्तरकरण सं. 300, 301, 302, 303 में वर्णित खसरा नंबर में प्रार्थी का नाम प्रार्थी के दस्तावेजात व अप्रार्थी के जवाव के आधार पर हंससिंह के स्थान पर हरिसिंह दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा मणधर के गत नामान्तरकरण सं. 300, 301, 302, 303 में वर्णित खसरा नंबर में प्रार्थी का नाम हंससिंह के स्थान पर हरिसिंह दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है। मिसल फैसल होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2021.02.09 13:12:46 IST
Reason: SelfAttested